

डिक्री मुकदमा इब्तादाई
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, चौमूं, जयपुर
पीठासीन अधिकारी :- सुश्री सीमा शर्मा (R.A.S.)

मुकदमा नम्बर :-453/348/07

उनवान

गिरधारी पुत्र रामू, जाति दरोगा, निवासी ग्राम बलेखण, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

-वादी

बनाम

1. बाबूलाल पुत्र जगदीश
 2. हिम्मतसिंह पुत्र जगदीश
 3. विक्रमसिंह पुत्र सुवालाल
 4. दलीपसिंह पुत्र सुवालाल
 5. शेरसिंह पुत्र सुवालाल
 6. सोभाग कंवर पत्नि सुवालाल
- समस्त जाति दरोगा, निवासी ग्राम
बलेखण, तहसील चौमूं,
जिला जयपुर (राज0)।
7. उप पंजीयक चौमूं, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
 8. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार महोदय, तहसील चौमूं,
जिला जयपुर (राज0)।
 9. बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा चौमूं, जिला जयपुर जरिये शाखा प्रबन्धक।

-प्रतिवादीगण

दावा बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक:-02.02.2018

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू हाजरी वकील वादी मिनजामिन मुददई रूबरू सुश्री सीमा शर्मा आरएएस मिनजामिन मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि-

वाके ग्राम बलेखण, तहसील चौमूं जिला जयपुर की विवादित भूमि खनं0 571 ता 589, 590/1188, 591 कुल कित्ता 21 का कुल रकबा 6.02 है0 भूमि का मुतकुर्रैजात रिपोर्ट निम्नानुसार बंटवारा किया जाता है:-

सहायक कलेक्टर
चौमूं (जयपुर)

1. बाबूलाल पुत्र जगदीश हि० 1/2 राहिन बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा चौमूं मूतहीन, हिम्मतसिंह पुत्र जगदीश हि० 1/2, जाति दशोमा, सा० देह खातेदार के हिस्से में ख०नं० 573 रकबा 0.1770 है०, ख०नं० 574/2 रकबा 0.3350 है०, ख०नं० 578 रकबा 0.18 है०, ख०नं० 580 रकबा 0.23 है०, ख०नं० 582/1 रकबा 0.11 है०, ख०नं० 586/2 रकबा 0.0240 है०, ख०नं० 587/1 रकबा 0.1470 है०, ख०नं० 588/1 रकबा 0.2410 है०, ख०नं० 589/1 रकबा 0.21 है०, ख०नं० 590/1188/2 रकबा 0.1080 है०, ख०नं० 591/2 रकबा 0.1190 है०, कुल कित्ता 11 का कुल रकबा 1.88 हैक्टेयर भूमि जो नजरी नक्शे में हरे रंग से दर्शायी गई है, प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।
2. गिस्थाशी पुत्र रामू, जाति दशोमा, सा० देह खातेदार के हिस्से में ख०नं० 572/1 रकबा 0.2080 है०, ख०नं० 574/3 रकबा 0.0970 है०, ख०नं० 575/2 रकबा 0.4570 है०, ख०नं० 577 रकबा 0.15 है०, ख०नं० 581 रकबा 0.23 है०, ख०नं० 582/3 रकबा 0.14 है०, ख०नं० 584/2 रकबा 0.04 है०, ख०नं० 587/2 रकबा 0.1190 है०, ख०नं० 588/2 रकबा 0.2290 है०, ख०नं० 589/2 रकबा 0.21 है०, कुल कित्ता 10 का कुल रकबा 1.88 हैक्टेयर भूमि जो नजरी नक्शे में पीले रंग से दर्शायी गई है, प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।
3. विक्रमसिंह, दलपसिंह, शेरसिंह पुत्रान सुवालाल हि० 5/6, सौभाग कंवर पत्नि सुवालाल हि० 1/6, शेरसिंह नाबालिग संरक्षिका माता सौभाग कंवर, जाति दशोमा, सा० देह खातेदार के हिस्से में ख०नं० 571 रकबा 0.18 है०, ख०नं० 576/2 रकबा 0.41 है०, ख०नं० 579 रकबा 0.35 है०, ख०नं० 585 रकबा 0.04 है०, ख०नं० 586/1 रकबा 0.2560 है०, ख०नं० 590/1188/1 रकबा 0.3120 है०, ख०नं० 591/1 रकबा 0.3320 है० कुल कित्ता 7 का कुल रकबा 1.88 हैक्टेयर भूमि जो नजरी नक्शे में नीले रंग से दर्शायी गई है, प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।
4. बाबूलाल पुत्र जगदीश हि० 1/6 राहिन बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा चौमूं मूतहीन, हिम्मतसिंह पुत्र जगदीश हि० 1/6, गिस्थाशी पुत्र रामू हि० 1/3, विक्रमसिंह, दलपसिंह, शेरसिंह पुत्रान सुवालाल हि० 5/18, सौभाग कंवर पत्नि सुवालाल हि० 1/18, शेरसिंह पुत्र सुवालाल नाबालिग संरक्षिका माता सौभाग कंवर, जाति दशोमा, सा० देह खातेदार के हिस्से में ख०नं० 572/2

W
सहायक कलक्टर
चौमूं (जयपुर)

रकबा 0.0120 है0, ख0नं0 573/1 रकबा 0.0430 है0, ख0नं0 574/1
रकबा 0.0280 है0, ख0नं0 575/1 रकबा 0.0230 है0, ख0नं0 576/1
रकबा 0.04 है0, ख0नं0 582/2 रकबा 0.06 है0, ख0नं0 583 रकबा 0.01
है0, ख0नं0 584/1 रकबा 0.12 है0, ख0नं0 586/3 रकबा 0.02 है0,
ख0नं0 587/3 रकबा 0.0240 है0, कुल किता 10 का कुल रकबा 0.38
हैक्टेयर भूमि जो नजरी नक्शे में भूरे रंग से दर्शायी गई है, प्राप्त होकर
कब्जे में रहेगी।

निजीमबलिक बाबतखर्चा इस मुकदमे का मय सूद
वगैरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाय तक को
उदा करें।

बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख 02.02.2018 को जारी
किया गया।

मोहर

दस्तखत
सहायक कलक्टर
ओहदा...चौधू (जयपुर)

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. स्टाम्प अर्जी दावा	2	1. स्टाम्प अर्जी दावा	
2. स्टाम्प वकालतनामा	1	2. स्टाम्प वकालतनामा	2
3. स्टाम्प वजह सबूत		3. महन्ताना वकील	
4. महन्ताना वकील		4. खर्चा गवाहन	
5. खर्चा गवाहन		5. फीस कमिश्नर	
6. फीस कमिश्नर		6. बाबत इजराय	
7. बाबत इजराय		हुकमनामा	
हुकमनामा		7. मुतफरिक	
8. मुतफरिक			
जोड़	3	जोड़	2

.....
सहायक कलक्टर
चौधू (जयपुर)

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट चौमूं, जयपुर
पीठासीन अधिकारी :- सुश्री सीमा शर्मा (R.A.S.)

मुकदमा नम्बर :-453/348/07

उनवान

गिरधारी पुत्र रामू, जाति दरोगा, निवासी ग्राम बलेखण, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

-वादी

बनाम

1. बाबूलाल पुत्र जगदीश
 2. हिम्मतसिंह पुत्र जगदीश
 3. विक्रमसिंह पुत्र सुवालाल
 4. दलीपसिंह पुत्र सुवालाल
 5. शेरसिंह पुत्र सुवालाल
 6. सोभाग कंवर पत्नि सुवालाल
- समस्त जाति दरोगा, निवासी ग्राम
बलेखण, तहसील चौमूं,
जिला जयपुर (राज0)।
7. उप पंजीयक चौमूं, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
 8. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार महोदय, तहसील चौमूं,
जिला जयपुर (राज0)।
 9. बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा चौमूं, जिला जयपुर जरिये शाखा प्रबन्धक।

-प्रतिवादीगण

दावा बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय

दिनांक:-02.02.2018

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरीकेन उपस्थित। तहसीलदार चौमूं से प्राप्त कुर्रजात के संबंध में प्राप्त रिपोर्ट पर बहस सुनी गई। वकील वादी ने अपनी बहस में कथन किया कि पूर्व में प्राप्त कुर्रजात रिपोर्ट पर पेश आपत्ति पर पुनः कुर्रजात रिपोर्ट मंगवाने बाबत तहसीलदार चौमूं को आदेश दिये गये थे लेकिन तहसीलदार चौमूं द्वारा पुनः कुर्रजात रिपोर्ट न भिजवायी जाकर मात्र फर्द मौका रिपोर्ट ही भिजवायी गई है, जिसमें खसरा नं0 904 को भी विवादित भूमि के साथ सम्मिलित करते हुए पुनः कुर्रजात रिपोर्ट मंगवायी जाने का निवेदन किया है।

वकील प्रतिवादी ने अपनी बहस में कथन किया कि तहसीलदार चौमूं से प्राप्त फर्द मौका में अंकित खसरा नं0 904 न तो वाद पत्र में विवादित भूमि है और न ही

W
सहायक कलेक्टर
चौमूं (जयपुर)

निर्णय व प्राथमिक डिक्री में अंकित है। चाची द्वारा ख०नं० 904 की भी कुर्रजात रिपोर्ट बनाने हेतु कहा गया व शरता भी अंकित नहीं करने बाबत इनकार किया गया है। फर्द मौका रिपोर्ट पर चाची के हस्ताक्षर भी हैं व तहसीलदार चौमूं द्वारा पूर्व में भिजवायी गई कुर्रजात रिपोर्ट सही होना बताया गया है। अतः पूर्व में प्राप्त कुर्रजात रिपोर्ट के अनुसार ही चाद डिक्री फरमाये जाने बाबत निवेदन किया गया है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया। विचाराधीन प्रकरण में प्रश्नगत खसरा नं० 904 का अनुतोष मूल चाद में नहीं चाहा गया है। न्यायालय हाजा द्वारा पूर्व में पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री में भी उक्त खसरा नम्बर को संशोधित करने हेतु कोई प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया गया है। केवल प्रार्थी/वादी द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत कुर्रजात रिपोर्ट में उक्त खसरा नम्बर को सम्मिलित करवाकर पुनः कुर्रजात तैयार करवाना प्रतीत होता है। न्यायालय हाजा द्वारा पेश मूल चाद में अंकित अनुतोष या संशोधित चाद अनुतोष के बिना किसी अन्य खसरा नम्बर जो विवादग्रस्त नहीं है पर अनुतोष पारित नहीं किया सकता न ही ऐसा अनुतोष विधि सम्मत है। ऐसे में प्रकरण हाजा में प्रस्तुत कुर्रजात के आधार पर अन्तिम डिक्री जारी किया जाना उचित है।

अतः मुताबिक प्राप्त कुर्रजात रिपोर्ट वाके ग्राम बलेखण, तहसील चौमूं जिला जयपुर की विवादित भूमि ख०नं० 571 ता 589, 590/1188, 591 कुल कित्ता 21 का कुल रकबा 6.02 है० भूमि का निम्नानुसार बंटवारा किया जाता है:-

5. बाबूलाल पुत्र जगदीश हि० 1/2 सहिन बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा चौमूं मूर्तहीन, हिम्मतसिंह पुत्र जगदीश हि० 1/2, जाति दरोगा, सा० देह खातेदार के हिस्से में ख०नं० 573 रकबा 0.1770 है०, ख०नं० 574/2 रकबा 0.3350 है०, ख०नं० 578 रकबा 0.18 है०, ख०नं० 580 रकबा 0.23 है०, ख०नं० 582/1 रकबा 0.11 है०, ख०नं० 586/2 रकबा 0.0240 है०, ख०नं० 587/1 रकबा 0.1470 है०, ख०नं० 588/1 रकबा 0.2410 है०, ख०नं० 589/1 रकबा 0.21 है०, ख०नं० 590/1188/2 रकबा 0.1080 है०, ख०नं० 591/2 रकबा 0.1180 है०, कुल कित्ता 11 का कुल रकबा 1.88 हैक्टियर भूमि जो नजरी नक्शे में हरे रंग से दर्शायी गई है, प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।
6. गिरधारी पुत्र रामू, जाति दरोगा, सा० देह खातेदार के हिस्से में ख०नं० 572/1 रकबा 0.2080 है०, ख०नं० 574/3 रकबा 0.0970 है०, ख०नं० 575/2 रकबा 0.4670 है०, ख०नं० 577 रकबा 0.15 है०, ख०नं० 581 रकबा

W
सहायक कलक्टर
चौमूं (जयपुर)

0.23 है०, ख०नं० 582/3 रकबा 0.14 है०, ख०नं० 584/2 रकबा 0.04 है०, ख०नं० 587/2 रकबा 0.1190 है०, ख०नं० 588/2 रकबा 0.2290 है०, ख०नं० 589/2 रकबा 0.21 है०, कुल कित्ता 10 का कुल रकबा 1.88 हेक्टेयर भूमि जो नजरी नक्शे में पीले रंग से दर्शायी गई है, प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।

7. विक्रमसिंह, दलपसिंह, शेरसिंह पुत्रान सुवालाल हि० 5/6, सौभाग कंवर पत्नि सुवालाल हि० 1/6, शेरसिंह नाबालिग संरक्षिका माता सौभाग कंवर, जाति दसोगा, सा० देह खातेदार के हिस्से में ख०नं० 571 रकबा 0.18 है०, ख०नं० 578/2 रकबा 0.41 है०, ख०नं० 579 रकबा 0.35 है०, ख०नं० 585 रकबा 0.04 है०, ख०नं० 586/1 रकबा 0.2580 है०, ख०नं० 590/1188/1 रकबा 0.3120 है०, ख०नं० 591/1 रकबा 0.3320 है० कुल कित्ता 7 का कुल रकबा 1.88 हेक्टेयर भूमि जो नजरी नक्शे में नीले रंग से दर्शायी गई है, प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।

8. बाबूलाल पुत्र जगदीश हि० 1/6 राहिन बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा चौमूं मूर्तहीन, हिम्मतसिंह पुत्र जगदीश हि० 1/6, गिरधारी पुत्र रामू हि० 1/3, विक्रमसिंह, दलपसिंह, शेरसिंह पुत्रान सुवालाल हि० 5/18, सौभाग कंवर पत्नि सुवालाल हि० 1/18, शेरसिंह पुत्र सुवालाल नाबालिग संरक्षिका माता सौभाग कंवर, जाति दसोगा, सा० देह खातेदार के हिस्से में ख०नं० 572/2 रकबा 0.0120 है०, ख०नं० 573/1 रकबा 0.0430 है०, ख०नं० 574/1 रकबा 0.0280 है०, ख०नं० 575/1 रकबा 0.0230 है०, ख०नं० 576/1 रकबा 0.04 है०, ख०नं० 582/2 रकबा 0.06 है०, ख०नं० 583 रकबा 0.01 है०, ख०नं० 584/1 रकबा 0.12 है०, ख०नं० 586/3 रकबा 0.02 है०, ख०नं० 587/3 रकबा 0.0240 है०, कुल कित्ता 10 का कुल रकबा 0.38 हेक्टेयर भूमि जो नजरी नक्शे में भूरे रंग से दर्शायी गई है, प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।

अंतिम डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 02.02.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फंसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम तथा दाखिल दफतर हो।

सहायक न्यायाधीश
कार्यपालक न्यायाधीश
चौमूं